

यह प्राधिकृत अनुज्ञप्ति दिनांक/...../2016 को निम्न लिखित दो पक्षों द्वारा की जा रही है।

प्रथम पक्ष :

नाम अनुज्ञप्तिकर्ता झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (झारखण्ड सरकार का उपक्रम) द्वारा ...
..... झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, विरसा विहार कम्पलेक्स,
5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची-834001.

द्वितीय पक्ष :

अनुज्ञप्तिधारी, श्री
.....
.....

सम्पत्ति :- झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० का इकाई
.....

प्रथम पक्ष के द्वारा वर्णित सम्पत्ति को लाईसेंस के आधार पर पाँच वर्षों के लिए निविदा के आधार पर
द्वितीय पक्ष को दिनांक के प्रभाव से संचालन हेतु आवंटित किया जाता है। दोनों पक्षों के
सहमति के उपरान्त वर्णित सम्पत्ति का लाईसेंस अनुज्ञप्ति द्वितीय पक्ष को पाँच वर्षों की अवधि के लिए

(जिसका विस्तार पुनः पाँच वर्षों के लिए सफल संचालन के मूल्यांकन के पश्चात् किया जायेगा)
निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दिया जाता है

1. वर्णित सम्पत्ति का लाईसेंस नियमानुसार व्यवसायिक आधार पर यात्रियों/पर्यटकों के उपयोग हेतु दिनांक की तिथि से अगले पाँच वर्षों के लिए संचालन के लिए आवंटित किया जाता है।
2. वर्णित सम्पत्ति 'जहाँ है जैसे है' के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।
3. इस एकरारनामे के पन्द्रह दिन के भीतर वर्णित सम्पत्ति का उन्नयन हेतु Detail Project Report (DPR) निगम कार्यालय को समर्पित करना होगा।
4. DPR के स्वीकृति प्राप्त होने पर, एकरारनामों के तीन महीने के अन्दर उन्नयन कार्य पूर्ण करना होगा।
5. एकरारनामों के तीन महीने के पश्चात् से संचालन की अवधि का प्रारम्भ होगा जो दिनांक से मान्य होगा और अगले पाँच वर्षों तक चलेगा।
6. क. प्रथम वर्ष की लाईसेंस राशि के बराबर राशि रु० मात्र वर्णित सम्पत्ति उसके परिसर, उपलब्ध उपस्कर, उपकरण एवं विद्युत विपत्र के सिक्कुरिटी के मद में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा किया है।
ख. द्वितीय पक्ष एकरारनामों के तीन महीने के अन्दर उन्नयन का कार्य पूर्ण करेगा।
ग. एकरारनामों के तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष अगले प्रथम वर्ष का लाईसेंस फीस निगम को अदा करेगा।
घ. अनुज्ञप्ति की प्रारंभिक अवधि पाँच वर्षों की होगी जिसको प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन सभी प्रकार की भुगतये राशि के भुगतान होने के उपरांत अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तारित किया जायेगा, बशर्ते की कंडिका "क" एवं "ग" की तरह लाईसेंस की राशि एवं अन्य सिक्कुरिटी के मद में कुल राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त विस्तारित अवधि प्रारंभ होने के तीन माह पूर्व जमा कर दिया जायेगा।
ङ. कंडिका 6 (घ) के अन्तर्गत लीज की अधिकतम विस्तारित अवधि कुल 10 (दस) वर्ष तक ही सिमित रहेगी।
च. पर्यटकों हेतु Visitor Register उपलब्ध रखना होगा एवं उनके द्वारा दिये गये सुझाव/शिकायत को नियमित रूप से निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

- छ. लाईसेंस की पाँच वर्षों की अवधि समाप्ति के पूर्व अनुज्ञापिकर्ता द्वारा किये गये संचालन के मुल्यांकन के आधार पर पाँच वर्षों के लिये लीज लाईसेंस के अवधि विस्तार की जायेगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लाईसेंस की राशि रु० (रु०) मात्र एक मुश्त प्रथम पक्ष को एकरारनामे के तीन महीने के अन्दर भुगतान करना होगा।
8. वार्षिक लाईसेंस की निर्धारित राशि के साथ अनुमान्य कर यथा सेवा कर इत्यादि भी देय होगा।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा लाईसेंस के तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित लाईसेंस की राशि जो प्रथम वर्ष की राशि से 10% (दस प्रतिशत) अधिक होगी अर्थात् रु० (रु०) मात्र होगा। द्वितीय वर्ष की लाईसेंस अवधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व अर्थात् तक जमा किया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि से तीन माह के बीच की अवधि अर्थात् अनुज्ञापि अवधि के द्वितीय वर्ष की समाप्ति तक अग्रिम राशि जमा करने पर कोई सूद देय नहीं होगा और न ही कोई दण्डशुल्क लगेगा परन्तु उक्त निर्धारित तिथि से तीन माह बाद अर्थात् द्वितीय वर्ष लाईसेंस की अवधि की समाप्ति के बाद भुगतान करने पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से उक्त निर्धारित तिथि से ही दण्डशुल्क लगेगा एवं अनुज्ञापि की शर्तों के उल्लंघन को लेकर इस अनुज्ञापि पर शर्तों के अनुरूप अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी।
10. कंडिका 8 में वर्णित शर्तों के अनुरूप तृतीय, पाँचवें वर्ष में दिये जाने वाले लाईसेंस की राशि प्रथम वर्ष की लाईसेंस की राशि से क्रमशः 10%, 20% अधिक होगा का भुगतान द्वितीय पक्ष को एक मुश्त अग्रिम रूप से चालु लाईसेंस अवधि के 9वें माह अर्थात् प्रत्येक वर्ष के दिनांक तक झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० में भुगतान करना होगा। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक लाईसेंस फीस ANNEXURE-1 के अनुरूप देय होगा।
11. यदि द्वितीय पक्ष अर्थात् लाईसेंसधारी निर्धारित अवधि तीन माह पूर्व अर्थात् तक लाईसेंस की राशि का भुगतान प्रथम पक्ष अर्थात् झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची को नहीं करेंगे तो वैसे स्थिति में प्रथम पक्ष अर्थात् झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- क. द्वितीय पक्ष अर्थात् लाईसेंसधारी का लाईसेंस प्रथम पक्ष अर्थात् झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा रद्द कर दिया जायेगा।
- ख. प्रथम पक्ष अर्थात् झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात् लाईसेंसधारी के द्वारा जमा सिक्क्यूरिटी राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

- ग. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा वर्णित सम्पत्ति में रखे सभी सामान एवं उपस्करों को जप्त कर लिया जायेगा।
- घ. नोटिस अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनः प्रथम पक्ष द्वारा नये सिरे से निविदा निकालकर अथवा नये प्रक्रिया के माध्यम से किये गये बन्दोबस्ती अवधि के लिए देय लाईसेंस की राशि की वसुली द्वितीय पक्ष अथवा लाईसेंसधारी से की जायेगी।
- ङ. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में भविष्य में भाग नहीं ले सकेगा।
12. प्रथम पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी आवंटित परिसर में किसी प्रकार की गैर कानूनी अथवा प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित परिसर का उपयोग पूरी निष्ठा एवं प्रभावी नियमों के अनुरूप आवंटित अवधि के लिए किया जायेगा।
14. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के लिए उपस्करों, फरनीचर्स, बर्तन, कौकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा।
15. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा निध्नरित जगह को छोड़ कर अन्य किसी स्थान पर द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार-पटल नहीं लगाने दिया जायेगा।
16. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा अपने खर्च पर वर्णित सम्पत्ति के परिसर के जल निकासी, पानी के पाईप, बिजली के तारों, बिजली आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थाओं का नियमपूर्वक अपने खर्च पर ठीक रखना सुनिश्चित करेगा।
17. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में वर्णित सम्पत्ति में सभी प्रकार के सैन्ड्रर्यीकरण एवं सामान्य रख-रखाव का कार्य अपने खर्च पर करेगा।
18. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा भवन एवं परिसर को दो वर्ष पर मेन्टेन किया जाएगा तथा भवन/परिसर के अन्दर-बाहर प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित पेन्ट आदि से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दो वर्ष पर रंगाई-पोताई कराया जाएगा।
19. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित वर्णित सम्पत्ति या उसके परिसर में एडिशन एवं अल्टरेशन प्रथम पक्ष की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा।

20. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी लाईसेंस अवधि में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा, दंगा, आग एवं अन्य असावधानी के कारण आवंटित वर्णित सम्पत्ति या उसके परिसर या इस परिसर में अवस्थित प्रथम पक्ष या किसी अन्य की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति की पूर्ण भरपाई जो प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा, एक सामान्य समय सीमा के अन्दर जिसे भी प्रथम पक्ष द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा, अपने खर्च पर करेगा।
21. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी कंडिका 19 के आलोक में प्राकृतिक आपदा, दंगा, आग एवं अन्य असावधानी से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अपने खर्च पर बीमा करवायेगा एवं बीमा की प्रिमियम की राशि द्वितीय पक्ष नियमित रूप से वहन करेगा।
22. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को आवंटित वर्णित सम्पत्ति के परिसर के पूर्ण अथवा किसी भाग को सबलेट करने का अधिकार बिना प्रथम पक्ष की लिखित पूर्वानुमति के नहीं होगा।
23. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० और उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित वर्णित सम्पत्ति के परिसर में कोई प्रतिबंधित व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है या नहीं के निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।
24. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित वर्णित सम्पत्ति में स्वच्छता का ध्यान रखा जायेगा।
25. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा पर्यटकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर खाद्य सामग्रियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी एवं उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा पर्यटकों के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा।
27. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा पर्यटकों अथवा ग्राहकों को उपलब्ध करायी गयी खाद्य पदार्थ एवं/अथवा सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० यथोचित कार्रवाई करेगा।
28. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को आवंटित वर्णित सम्पत्ति के परिसर के लिए अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से संचालन के पूर्व अपने नाम पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करेगी। तत्संबंधि विद्युत आपूर्ति से संबंधित विपत्रों को द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान किया जायेगा एवं भुगतान से संबंधित सूचना प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० को नियमित रूप से समर्पित करेगा।

29. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति के लाईसेंस आदि के शुल्क/शुल्कों का भुगतान संबंधित विभाग/संस्थान को नियमानुसार किया जायेगा।
30. स्थानीय निकाय द्वारा लगाये गये होल्डिंग टैक्स का भुगतान प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा की जायेगी एवं समानुपातिक राशि द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी से प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० नियमित रूप से प्राप्त करेगा।
31. वर्णित सम्पत्ति के साथ आवंटित परिसर में विद्युत हेतु स्टैंडबाई व्यवस्था स्वरूप जेनेरेटर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जायेगी।
32. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी वर्णित सम्पत्ति को अपने खर्च पर आवश्यकतानुसार वातानुकूलित करेगा।
33. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी आवश्यकतानुसार बार के संचालन के लिए बिना प्रथम पक्ष की अनुशंसा के उत्पाद विभाग, झारखण्ड सरकार से लाईसेंस प्राप्त नहीं करेगा।
34. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा बार संचालन विधि सम्मत एवं नियमानुसार किया जायेगा।
35. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी किसी प्रकार का बकाया बिहार एवं उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड रिक्वैरी एक्ट के प्रावधानों के तहत सर्टिफिकेट केस के माध्यम से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित होगा।
36. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी लाईसेंस अवधि के समाप्ति के उपरान्त आवंटित वर्णित सम्पत्ति को उसी अवस्था में सुपूर्द करेगे जिस अवस्था में प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को दिया जायेगा।
37. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा लाईसेंस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में वर्णित सम्पत्ति का संचालन नहीं करेगा।
38. वर्णित सम्पत्ति के लाईसेंस की निर्धारित अवधि के पश्चात् द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा वर्णित सम्पत्ति एवं वर्णित सम्पत्ति के परिसर को खाली नहीं किये जाने वाले अवधि तक प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० को पेनल्टी के रूप में लाईसेंस का दस गुणा राशि देना होगा।
39. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के अवस्था में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किये गये वर्णित सम्पत्ति के संचालन हेतु लाईसेंस अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें सजायापता होने की जानकारी मिलने पर प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के

द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को नोटिस के उपरांत लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के द्वारा जमा किये गये सिक्ससुरिटी डिपोजिट को जप्त कर लिया जायेगा।

40. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस के एकरारनामों से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन कराना पड़ेगा।

41. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी को 6 (छः) माह के नोटिस अथवा 6 (छः) माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति राशि का भुगतान कर एवं सभी बकाया राशि का भुगतान कर अनुज्ञप्ति से बाहर आने का अधिकार होगा।

42. द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी द्वारा संबंधित सम्पदा के संचालन के निमित्त रखे गये कार्मिक प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के कार्मिक नहीं कहलायेंगे। द्वितीय पक्ष को यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधिनस्त रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित आर्हताएँ पूरा करेंगे। इसकी पुरी जवाबदेही द्वितीय पक्ष की ही होगी।

द्वितीय पक्ष श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रवधानों का कठोरता से पालन करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी

43. एकरारनामा होने की तिथि से तीन माह के अन्दर द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी वर्णित सम्पत्ति का संचालन सुनिश्चित करेंगे।

44. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार का पत्राचार उपरोक्त पते पर ही करेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा पता बदले जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को निश्चित रूप से लिखित सूचना देगी। अन्यथा इसके अभाव में प्रथम पक्ष द्वारा पूर्व पते पर किए गए पत्राचार को “DUE COMMUNICATION” समझा जायेगा।

45. प्रथम पक्ष अर्थात झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० लाईसेंस कर्ता एवं द्वितीय पक्ष अर्थात लाईसेंसधारी के बीच किसी प्रकार के विवाद एवं मतभेद की अवस्था में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० आर्बिट्रेटर होंगे। उनका निर्णय आर्बिट्रेशन एण्ड रि-कॉन्सिलियेशन एक्ट 1996 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

46. लाईसेंसधारी परिसम्पत्ति के बोर्ड, प्रचार, प्रसार समग्री में झारखण्ड पर्यटन विकास निगम के नाम एवं लोगो (Logo) का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।

गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित दोनों पक्षों ने एकरारनामों के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित प्रतिनिधियों द्वारा आज दिनांक को इस एकरारनामों पर हस्ताक्षर किया।

प्रथम पक्ष अर्थात् झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची द्वारा
..... झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची।

गवाह

1.

2.

द्वितीय पक्ष अर्थात् लाईसेंसधारी श्री

.....

.....

गवाह

1.

2.

ANNEXURE-1

पर्यटक भवन, गुमला के संचालन हेतु वार्षिक लाईसेंस की राशि
रु० (..... रूपये)
मात्र + अनुमान्य सेवाकर निम्नवत् होगा :-

लाईसेंस वर्ष	वार्षिक लाईसेंस की मूल देय राशि (रु०)	लाईसेंस में वृद्धि की राशि (रु०)
1 + Service Tax	-
2 + Service Tax	-
3 + 10%=..... + Service Tax x 10% =
4 + Service Tax	-
5 + 20%=..... + Service Tax x 20% = X

यदि लाईसेंस की अवधि पाँच वर्ष के पश्चात् अगले पाँच वर्ष के लिए विस्तारित की जाती है तो पाँचवे वर्ष की देय राशि छठे वर्ष के लिए मूल राशि मानी जायेगी। विस्तारित अवधि के लाईसेंस की गणना निम्नवत् है :-

लाईसेंस वर्ष	वार्षिक लाईसेंस की मूल देय राशि (रु०)	लाईसेंस में वृद्धि की राशि (रु०)
1	X + Service Tax	-
2+ Service Tax	-
3 + 10%=..... + Service Tax x 10% =
4 + Service Tax	-
5 + 20%=..... + Service Tax x 20% =